हरिभूमि
रायपुर भूमि - Page 1
15 July 2025

शराब घोटाले के 23 आरोपी अफसरों की अर्जी इधर, कस्टम मिलिंग केस में रिमांड बढ़ी

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

राज्य के चर्चित शराब घोटाले में जिन 29 आबकारी अफसरों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने पिछले दिनों विशेष अदालत में चालान पेश किया था, उनमें से 23 अफसरों ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन पेश किया है। इसी तरह पिछले सप्ताह कस्टम मिलिंग घोटाले में आरोपी बनाए गए पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा तथा अनवर ढेबर की स्पेशल कोर्ट ने पुलिस रिमांड 21 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। इधर, कोल घोटाले में लंबे अरसे से फरार चल रहे सूर्यकांत तिवारी के चचेरे भाई नवनीत तिवारी को ईओडब्ल्यू के आवेदन पर पूछताछ के लिए 21 जुलाई तक पुलिस रिमांड स्वीकृत की है।

2174 करोड़ रुपए के आबकारी घोटाले को लेकर पिछले दिनों ईओडब्ल्यू तथा एसीबी की टीम ने आबकारी अधिकारियों की भूमिका को लेकर कोर्ट में 21 सौ पन्नों का चालान पेश किया था। चालान पेश होने के समय सभी नामजद आबकारी अधिकारियों को कोर्ट ने उपस्थित होने का आदेश दिया था। आदेश के बाद भी आबकारी अधिकारी कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने सभी नामजद आबकारी अफसरों को 18 जुलाई को अनिवार्य रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर की पुलिस रिमांड 21 जुलाई तक बढ़ी

28 आबकारी अफसरों के खिलाफ 2100 पन्नों का चालान, जज छुट्टी पर, अब सोमवार को होगा पेश

इस वजह से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन

आबकारी अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में पेश चालान में उन पर घोटाले को अंजाम देने के गंभीर आरोप ईओडब्ल्यू ने लगाए हैं। इस वजह से आबकारी अधिकारियों को अपनी गिरफ्तारी का भय सता रहा है। गिरफ्तारी से बचने आबकारी अफसरों ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पेश किए हैं। आबकारी अधिकारियों ने अपने आवेदन में शराब घोटाले की जांच में ईओडब्ल्यू को पूर्व में किए गए सहयोग करने का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत का आवेदन पेश किया है।

भूमिका सामने आने के बाद गिरफ्तारी

पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा तथा अनवर ढेबर के शराब घोटाले की तरह 140 करोड़ रुपए से ज्यादा के कस्टम मिलिंग घोटाले में भूमिका सामने आने के बाद ईओडब्ल्यू ने पिछले सप्ताह बुधवार को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर मुहर लगाते हुए 14 जुलाई तक पुलिस रिमांड स्वीकृत की थी। पीआर समाप्त होने के बाद सोमवार को दोनों आरोपियों को पुनः कोर्ट में पेश किया गया। कोल घोटाला मामले में ईडी द्वारा केस दर्ज करने के बाद से वर्ष 2022 से फरार चल रहे नवनीत तिवारी को ईओडब्ल्यू ने रविवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 21 जुलाई तक रिमांड पर लिया है।